संख्या- 93/2018/1297/71-1-2018-जी-89/2017

प्रेषक,

अनिल कुमार,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 30 मार्च, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों में ई-हास्पिटल मैनेजमेन्ट सिस्टम लागू किये जाने हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मैं मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-88/2018/1296/71-1-2018-जी-89/2017, दिनॉक 30-03-2018 में त्रुटिवश पृष्ठाकंन में कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ का उल्लेख नहीं हुआ है। अत: उक्त शासनादेश दिनॉक 30-03-2018 के पृष्ठाकंन में अन्य के साथ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ को भी पृष्ठांकित समझा एवं पढ़ा जाय।

2- उपर्युक्त शासनादेश संख्या-88/2018/1296/71-1-2018-जी-89/2017, दिनॉक 30-03-2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

भवदीय

(अनिल कुमार)
उप सचिव

संख्या:- 93/2018/1297(1)/71-1-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, गोरखपुर तथा झॉसी।
4- निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर एवं जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, गोरखपुर तथा झॉसी।
6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, गोरखपुर तथा झॉसी।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।